



96

समक्ष न्यायालय— संदस्य राजस्व मंडल, ग्वालियर

I/ निगरणी/ छिंदवाड़ा/ भू.रा/ 2018/ 1599

श्रीराम पिता ज्ञानकलाल रघुवंशी, उम्र करीब 63 वर्ष

निवासी— ग्राम सोनारी मोहगांव

तहसील व जिला छिंदवाड़ा

..... पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

मनोज शर्मा पिता चुन्नीलाल शर्मा, उम्र करीब 48 वर्ष

निवासी— ग्राम खापा छिंदवाड़ा

तहसील व जिला छिंदवाड़ा

..... उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

राजस्व प्रकरण क्रमांक 25/बी-121/17-18 पक्षकार मनोज शर्मा पिता चुन्नीलाल शर्मा विरुद्ध श्रीराम रघुवंशी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी छिंदवाड़ा के अंतरिम आदेश दिनांक 01/01/2018 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :-

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता छिंदवाड़ा का स्थायी निवासी है, यहां पर उसकी चल-अचल संपत्ति स्थित है। पुनरीक्षणकर्ता एवं उसके परिवार की संपत्ति ग्राम सुनारी मोहगांव भाजीपानीकलां, तहसील व जिला छिंदवाड़ा, तहसील व जिला छिंदवाड़ा में कृषिभूमि धारित की जाती है। जो पुनरीक्षणकर्ता एवं उसके परिवार के द्वारा विभिन्न पंजीयत बैनामों के माध्यम से संपत्ति धारित की जाती हैं।
2. यह कि, अनावेदक खानदानी कृषक है एवं उसके द्वारा स्वअर्जित रूप से अपने खानदानी संपत्ति से आय अर्जित कर संपत्तियों का अर्जन किया है। आवेदिका एवं उसके अन्य सहयोगी व्यक्तियों के द्वारा जानबूझकर इस अनावेदक की संपत्ति को हड़पने के उद्देश्य से झूठे आवेदन दिये गये हैं। आवेदिका एवं उसके परिवारवाले के द्वारा झूठे आवेदनों का सहारा लेकर आवेदन दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि, उत्तरवादी बैनामा की जाने की अवधि के उन्नीस वर्ष पश्चात् तथाकथित रूप से विक्रय पत्र को कर्ज की सुरक्षा के एवज में विक्रय पत्र होना बताया जा कर म0प्र0 समाज के कमजोर वर्गों के कृषि-भूमिधारकों का उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधी कुचकों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक प्रस्तुत किया गया।
4. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा उक्त समयावधि बाह्य आवेदन पत्र के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई। कथित हैं म0प्र0 समाज के कमजोर वर्गों के कृषि-भूमिधारकों का उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधी कुचकों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत यह अधिनियम के लागू होने


श्रीराम
श्रीराम रघुवंशी
06.03.18

Mudal

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छिंदवाडा/भूरा/2018/1599

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमानकों आदि के हस्ताक्षर
S.2.19	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री एस० पी० धाकड उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छिंदवाडा के प्रकरण क्रमांक 25/बी-121/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 01.01.18 के विरुद्ध म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-</p> <p>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन-</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला छिंदवाडा के न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक 29/3/19</p> <p><u>कलेक्टर जिला छिंदवाडा</u></p>	 सदस्य